कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सत्यमेव जयते

नंबर. मा.सं.प्र.-IV/2026/एसएसए/पीएफएफवी/628 **दिनांक: 08/04/2026**

सेवा में,

सभी अ.के.आ.(मुख्या)/अ.के.आ.अंचल एवं मुख्यालय/
निदेशक(पीडीनास)/
क्षेत्रीय कार्यालय/ आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान
के सभी प्रभारी क्षे.भ.नि.आ.

विषय: सामाजिक सुरक्षा सहायकों और अन्य ग्रुप 'सी' संवर्गों के संवर्ग में विदेश यात्रा की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

I. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग दिनांक 27.07.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/8/2015-स्थापना.ए-III
II. मुख्यालय के दिनांक 21.08.2015 के परिपत्र संख्या मा.सं.प्र.-III/23(11)14/ टीएन एवं केआर / ईओ-एओ/विदेश यात्रा/पासपोर्ट
III. मुख्यालय के दिनांक 02.05.2016 के परिपत्र संख्या एचआरडी/2(1)2013/शक्तियों का प्रत्यायोजन/2092
IV. मुख्यालय के दिनांक 06.10.2017 के परिपत्र संख्या एचआरडी/2(1)2013/शक्तियों का प्रत्यायोजन/14453

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय से संबंधित परिपत्र का सन्दर्भ लें।

2. इस संबंध में, ऐसे प्रस्तावों की समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं :

(i) क्षेत्रीय कार्यालय और आंचलिक कार्यालय स्तर पर व्यय के स्रोत की जांच की जाएगी और इसे स्पष्ट प्रमाण पत्र के साथ कि "घोषित व्यय के स्रोत की जांच कर ली गई है और इसमें कोई विसंगति/अनियमितता नहीं पाई गई है भेजा जाएगा।"

(ii) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए भेजने से पूर्व धन के स्रोतों या कर्मचारी के बैंक विवरण में पाई गई किसी भी विसंगति/अनियमितता की विधिवत जांच की जानी चाहिए और उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(iii) पिछले विदेश दौरों का विवरण जिसमें धन के स्रोत का उल्लेख भी हो, निर्धारित प्रारूप में सारणीबद्ध रूप में भेजा जाए।

3. अनुरोध को यात्रा की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 21 दिन पहले भेजा जाए, ताकि आखिरी समय में होने वाली देरी से बचा जा सके। आंचलिक कार्यालय इस अनुरोध को अनुमोदन के लिए स्पष्ट सिफ़ारिश के साथ भेजेगा, और यह प्रमाणित करेगा कि सभी विवरणों की पुष्टि कर ली गई है और वे संतोषजनक पाए गए हैं।

4. चूंकि कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारी और सेवा शर्तें) विनियम, 2025 के तहत निर्धारित 'अनुशासनिक प्राधिकारी' को संशोधित कर दिया गया है, इसलिए 'सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र' उक्त विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाए ।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

भवदीय,

आदित्य

(आदित्य साह)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त- (मा.सं.प्र.-IV)

प्रतिलिपि

1. कें.भ.नि.आ. के स्टाफ अधिकारी के सूचनार्थ।
2. वि.सला. एवं मु.ले.अधि./मु.सत.अधि./सभी अ.के.आ.(मुख्या) के निजी सचिव के सूचनार्थ।

आदित्य

(आदित्य साह)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त- (मा.सं.प्र.-IV)